ग्राम पंचायत बसारल, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि: 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बसारल, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुनीता देवी	01/04/2015 से 22/01/2016
2	श्री सुभाष चन्द	23/01/2016 से लगातार।

सचिव:

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री कुलदीप कुमार	01/04/2015 से लगातार।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बसारल, विकास खण्ड नादौन, के लेखाओं अवधि 04/2015 से 03/2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	**पैरा सं0**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹लाखों में)**
1	6	अनुदान का उपयोग न करना	10.03
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.11
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	1.64
4	12	मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना	1.64
5	13	निर्माण कार्यों की Assessment के बिना भुगतान करना	0.82

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बसारल , विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2015 से 03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) तथा श्री विद्या सागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24-5-2018 से 28-5-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	**आय**	**व्यय**
2015-16	6/2015	11/2015
2016-17	5/2016	1/2017
2017-18	3/2018	9/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/

अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः-

ग्राम पंचायत बसारल, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला- 171009" को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 131/2018 दिनांक 28/05/2018 के द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200 को बैंक ड्राफ्ट संख्या 245779 दिनांक 28/5/2018 के द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थितिः-

ग्राम पंचायत बसारल, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2015 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व स्त्रौतः-

ग्राम पंचायत बसारल के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	73161	39660	112821	51357	61464
2016-17	61464	67383	128847	89688	39159
2017-18	39159	101061	140220	63719	76501

(2) **अनुदानः-**

ग्राम पंचायत बसारल के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	471457.68	2340564	2812021.68	2185835	626186.68
2016-17	626186.68	1929524	2555710.68	1794676	761034.68
2017-18	761034.68	2122315	2883349.68	1880031	1003318.68

5 बैंक समाधान विवरणीः-

स्व स्त्रौतः-

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष: ₹76501

अनुदानः⁎

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष: ₹1003318.68

कुल योग ₹1079819.68

दिनांक 31.03.2018 को बैंक खातों में अन्तिम शेष: ₹**1079479.68**

दिनांक 31.03.2018 को हस्तगत राशि : ₹340.00

कुल योग: **₹1079819.68**

अन्तर की राशि: - शून्य

6 अनुदान ₹10.03 लाख का उपयोग न करनाः

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक अनुदान राशि ₹₹1003318 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि

बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 पंचायत राजस्व ₹0.11 लाख वसूली हेतु शेष-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/2018 को गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹10520 की राशि शेष थी। अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर नियमित तौर से करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(1) गृहकर

वर्ष	**अथशेष (₹₹)**	**गृहकर की मांग (₹₹)**	**योग (₹₹)**	**प्राप्ति (₹₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹₹)**
2015-16	9960	10240	20200	9960	10240
2016-17	10240	10140	20380	20380	0
2017-18	0	10520	10520	0	10520

(2) भू-राजस्व:-

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान भू-राजस्व की राशि प्राप्त नहीं हुई और न ही भू-राजस्व को प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई व प्रयास किया गया जोकि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट करें।

8 सचिव / प्रधान द्वारा अपने नाम से चैक द्वारा राशि आहरित करना :---

सामान्य रोकड़ वही तथा बैंक पास बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि कई मामलों में सचिव /प्रधान द्वारा प्राय: राशि अपने नाम से चैक द्वारा आहरित करके विभिन्न फर्मो तथा मजदूरों को भुगतान की है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार अनुचित है क्योंकि एक हजार से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना है | अत: इस प्रकार के आहरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए

क्योंकि इस प्रकार के आहरण से राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान किया जाए |

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 खण्ड विकास अधिकारी नादौन को भुगतान की गई ₹₹0.57 लाख की रसीदें प्राप्त न करना :--

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 1-4-2015 को मनरेगा रोकड़ बही में ₹57163 की राशि आरम्भिक शेष में दर्शाई गई यह राशि ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान से अंकेक्षण वसूली की गई थी तथा इस राशि को हस्तगत रखा गया | इस हस्तगत राशि में से मास 12/2015 में ₹30000 तथा 1/2017 में ₹27163 नगद राशि खण्ड विकास अधिकारी नादौन के कार्यालय में जमा करवाई गई। परन्तु खंड विकास अधिकारी कार्यालय नादौन द्वारा इस राशि की प्राप्ति की रसीदें सादे कागज पर जारी की गई जो कि अनुचित है। अत: इस राशि को इतने अधिक समय के लिए हस्तगत रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय से इस राशि की मुद्रित रसीदें प्राप्त की जाएँ अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹ ₹1.64 लाख के **स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-**

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्राविधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹₹164400 के स्टॉक /स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 स0	**वोउचर संख्या**	**मास**	**सामग्री का विवरण**	मात्रा	**दर**	**राशि ₹**
GENERAL CASH BOOK						
1	42	1/2017	(i) सोलिंग	10 ट्राली	1100	11000
			(ii) बजरी	8 ट्राली	1300	10400
			(iii) रेत	4ट्राली	1500	6000
2	43	1/2017	(i) सोलिंग	7 ट्राली	1000	7000
			(ii) बजरी	5 ट्राली	1100	5500
			(iii) रेत	3 ट्राली	1200	3600
3	43	1/2017	(i) सोलिंग	6 ट्राली	1200	7200
			(ii) बजरी	5 ट्राली	1300	6500
			(iii) रेत	2 ट्राली	1500	3000
14^{th} FC						
4	20	1/2017	सोलिंग	26 ट्राली	1000	26000

5	42	1/2017	(i) सोलिंग (ii)बजरी (iii) रेत	4 ट्राली 4 ट्राली 2 ट्राली	1200 1500 1800	4800 6000 3600
6	22	1/2017	सोलिंग	28 ट्राली	1000	28000
7	15	1/2017	(i) सोलिंग (ii)बजरी (iii) रेत	9 ट्राली 7 ट्राली 4ट्राली	1100 1300 1500	9900 9100 6000
8	21	9/2017	(i) सोलिंग (ii)बजरी	6 ट्राली 2 ट्राली	1400 1200	8400 2400
					योग	**164400**

12 निर्माण सामग्री को निर्धारित इकाई में क्रय न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या :पी सी एच -एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत ,बजरी ,पथर ,सीमेंट लकड़ी के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित इकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत ,बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार " परन्तु ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित इकाई के अनुसार जिसके उदाहरण नीचे दिए गये है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गई इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है | अत: नियमाविरूद्ध की गई निर्माण सामग्री की खरीद के लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सामग्री को निर्धारित इकाई में क्रय करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र. स.	वोउचर संख्या:	मास	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	राशि ₹
GENERAL CASH BOOK						
1	42	1/2017	(i) सोलिंग (ii)बजरी	10 ट्राली 8 ट्राली	1100 1300	11000 10400

			(iii) रेत	4ट्राली	1500	6000
2	43	1/2017	(i) सोलिंग	7 ट्राली	1000	7000
			(ii)बजरी	5 ट्राली	1100	5500
			(iii) रेत	3 ट्राली	1200	3600
3	43	1/2017	(i) सोलिंग	6 ट्राली	1200	7200
			(ii)बजरी	5 ट्राली	1300	6500
			(iii) रेत	2 ट्राली	1500	3000
14th FC						
4	20	1/2017	सोलिंग	26 ट्राली	1000	26000
5	42	1/2017	(i) सोलिंग	4 ट्राली	1200	4800
			(ii)बजरी	4 ट्राली	1500	6000
			(iii) रेत	2 ट्राली	1800	3600
6	22	1/2017	सोलिंग	28 ट्राली	1000	28000
7	15	1/2017	(i) सोलिंग	9 ट्राली	1100	9900
			(ii)बजरी	7 ट्राली	1300	9100
			(iii) रेत	4ट्राली	1500	6000
8	21	9/2017	(i) सोलिंग	6 ट्राली	1400	8400
			(ii) बजरी	2 ट्राली	1200	2400
					योग	**164400**

13 निर्माण कार्यों की Assessment के बिना ₹0.82 लाख का भुगतानः–

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्यों

की assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा | परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में पंचायत द्वारा ₹81540 का भुगतान निर्माण कार्यों की assessment के बिना किया गया | अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए assessment के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए |

बा. सं.	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि (₹)**
13th/14th FC			
14	11/2015	निर्माण नाली व डन्गा व नाली पर लेंटर बनाने बारे	4684
20	11/2017	निर्माण सम्पर्क मार्ग सड़क से लेकर प्यार चंद के घर तक	26000
22	1/2017	निर्माण सम्पर्क मार्ग प्यार चंद के घर से बली राम के घर तक	27432
19	9/2017	निर्माण रास्ता डन्गा अजीत सिंह के घर से बलदेव सिंह के घर तक	4100
21	9/2017	निर्माण रास्ता सड़क से लेकर छज्जू राम के घर तक	800
22	9/2017	निर्माण रास्ता सड़क से लेकर छज्जू राम के घर तक	18524
		योग	**81540**

14 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप 3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है | परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की

गई है | इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए |

15 मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवलेहना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रोल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिए "मस्ट्रोल जारी करने के रजिस्टर " में प्रविष्टी के उपरान्त जारी किये जाएँगे | इन्हीं नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रोल का अभिलेखन व अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति के आधार पर किया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किये गये मस्ट्रोल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है | मुख्य रूप से इन मस्ट्रोल में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई :--

1 श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक श्रमिक को छ: दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन PAID HOLIDAY (सवैतनिक अवकाश) दिया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई तथा विशेषकर मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी मस्ट्रोल में मजदूरों द्वारा लगातार छ: दिन से अधिक कार्य किये जाने के बावजूद भी उन्हें PAID HOLIDAY (सवैतनिक अवकाश) नहीं दिया गया जो कि नियमों की अवहेलना है |

2. मस्ट्रोल के भाग -3 जिसमें मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण दिया जाता है को पंचायत द्वारा ख़ाली रखा गया जिस कारण मस्ट्रोल में किये गये कार्य तथा उसके विरूद्ध किये गये भुगतान की तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है |

3. प्रयोग किये गये मस्ट्रोल में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है | मस्ट्रोल पर रखे गये मजदूरों से सम्बन्धित विकास/ निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है |

4. मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियंता / तकनीकी सहायक द्वारा किये गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण भुगतान की गई राशि को किये गये कार्य की प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है|

5. मस्ट्रोल में कुछ कॉलमों को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं |

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

16 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां :---

ग्राम पंचायत के लेखाओं की वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल / वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरांत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं :--

1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के " **परिशिष्ट - ई "** में दिए गये अनुबंध प्रारूप के अनुसार अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

2. बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेवार पंचायत पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है जिसके कारण किये गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है ।

3 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4. तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किये गए हैं । अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली की उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियम विरुद्ध होने के कारण अनियमित भी है।

17 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं | चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो

कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है |

18 **ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर (ASSET) का रख रखाव न करना :--**

ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति (अस्ति) रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए|

19 मस्ट्रोल **को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-**

पंचायत द्वारा लाखौं रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया। अत: उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

20 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित **फॉर्म 34 उपलब्ध न करना :--**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 19(3) , 27(3), 97(5) तथा 105(5) की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई मदों की मात्रा तथा राशि एवं भुगतान की गई मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई मात्रा तथा भुगतान की गयी मजदूरी की पुष्टि नहीं की जा सकी |अत: ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई मदों की मात्रा तथा राशि एवं भुगतान की गई मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए|

21 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है और सभी बिलों को केवल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है। इस के अतिरिक्त बहुत से बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया गया है। अतः उपरोक्त नियम के अनुसार कारवाई नहीं करने का उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित किया जाए।

22 क्रय सामग्री स्टॉक रजिस्टरों का अधूरा रख रखावः

सरकार द्वारा क्रय किये गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई सामान के रूप मे अलग-अलग स्टॉक रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव तो किया जा रहा है परन्तु उनमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य , आपूर्तिकर्ता का नाम व पता , वस्तु की मात्रा तथा उस से सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया जाता है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है। अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग-अलग स्थाई व अस्थाई स्टाक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग-अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए

ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

23 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर।
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
6 वर्गीकृत सार

24 भण्डार का **प्रत्यक्ष सत्यापन** न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

25 **लघु आपति विवरणिका:-** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

26 **निष्कर्ष:** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)57/2018 खण्ड–1–6047–6050 दिनांक–13.09.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत बसारल, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881